

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम सागरिया जमाबंदी सं. 2071-74 के खाता सं. 545 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

| भू प्रबंध खतौनी खाता सं. | भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि | वर्तमान जमाबंदी खाता सं. | वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज | प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <u>व्यापूबाई पुत्री मगत</u> | <u>व्यापूबाई पुत्री मगत</u> |
| | <u>545</u> | | <u>बलाई</u> | <u>मेहर</u> |
| | <u>2071-2074</u> | | <u>जा.देह</u> | <u>जा.देह</u> |

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. व्यापूबाई पुत्री मगत मेहर
2.
3.
4.

हस्ताक्षर

व्यापूबाई

रिपोर्ट पटवारी.

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सागरिया के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

18/3/25

हस्ताक्षर पटवारी

प0म0

सागरिया

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

22/03/25
भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/ 455

दिनांक : 21.3.25

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुरार ग्राम सांगरिया के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार
हजेल (झालावाड़)राज


आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 51

दिनांक : 24.03.25

वादी/प्रार्थी के ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार हजेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार हजेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0
जिला झालावाड़